न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सख्या .....88 / 2012

श्री नाथू पुत्र तेजा जाति मेहरात निवासी ग्राम–थल का बाडिया, तहसील–मसूदा, जिला– अजमेर।

.........वादीगण

बनाम

1. श्री जलाल पुत्र तेजा
2. श्रीमति राजी बेवा तेजा
3. श्री अब्दुल पुत्र निजाम
4. श्रीमति सोहनी बेवा निजाम.......... समस्त जाति मेहरात निवासी झाक, थल का बाडिया तहसील मसूदा ।
5. श्री मती गुडडी चौहान पत्नि बीरमसिंह चौहान जाति रावत निवासी झाक, थल का बाडिया तहसील मसूदा ।
6. राजस्थान सरकार जरीये श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील–मसूदा जिला, अजमेर।
7. उपपंजीयन, मसूदा जिला अजमेर ।

........प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रतिवादिया सं0 5 का काउन्टर क्लेम अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 25.05.2016

वादी ने एक वाद मौजा झाक भू.अ.नि. क्षेत्र खीमपुरा तह0 मसूदा जिला–अजमेर स्थित आराजी ख.नं. 247, 248, 329, 333, 335, 336, 330, 334 व 336 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित आराजियात है । इन में से प्रतिवादी सं0 1 से 4 द्वारा प्रतिवादिया सं0 5 को ख0नं0 247 एंव 248 तथा चाह नं0 245 में से अपना हिस्सा विकय कर दिये जाने को शून्य घोषित कराने के लिए प्रस्तुत किया था जो स्वीकार योग्य नहीं होने से निर्णय दिनांक 11.08.2011 से खारिज किया गया तथा प्रतिवादिया सं0 5 के काउन्टर क्लेम पर विभाजन की प्रारम्भिक डिकी पारित की गई ।

प्रारम्भिक डिकी पालना में तहसीलदार मसूदा ने मौजा झाक स्थित आराजी ख.नं. 247/2 रकबा 0–14–05 एवं 248/2 रकबा 0–14–05 प्रतिवादिया संख्या 5 के हिस्से एवं ख.नं. 247/1 रकबा 0–04–15 व 248/1 रकबा 0–04–15 वादी के हिस्से रखा जाना प्रस्तावित किया है ।

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

आज पत्रावली न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प झाक पर पेश हुई । पक्षकारान को आवाजे लगवाई गई । पक्षकारान उपस्थित आये । उन्हे बटवारा प्रस्ताव पढ़ कर सुनाएं एवं समझाए गये । पक्षकारान प्रस्ताव से सहमत हुए ।

अतः प्रकरण में अंतिम डिकी पारित की जाती है तथा प्रतिवादिया सं. 5 को मौजा झाक स्थित ख.नं. 247 एवं 248 से प्रस्तावित ख.नं. 247/2 रकबा 0–14–05 एवं 248/2 रकबा 0–14–05 में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी के हिस्से शेष आराजी ख.नं0 247/1 रकबा 0–04–15 एवं 248/1 रकबा 0–14–15 रखे जाने के आदेश पारित किये जाते है । तहसीलदार मसूदा यथानुसार राजस्व अभिलेख में अमल करावें । वादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादिया सं0 5 की कयशुदा आराजी में दखलंदाजी एवं कार्यवाही बेदखली आदि से निषेध किया जाता है । यथानुसार अंतिम डिकी जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2016 को "न्याय आपके द्वार" कार्यक्रम मुकाम झाक पर मजमें आम में सुनाया जाता है।

(सुरेश चावला)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.24 16:50:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: